निदेशालय

।। गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।।

फोन :– 0141–2612592, ,फैक्स : 0141–2603407, ई–मेल : sso1rajhg@hotmail.com
Website : htpp://www.home.rajasthan.gov.in/homeguards

क्रमांकः गृरमु/प्रशि/टी–1 ( ) 8038-81 दिनांकः– 4.3.2020

स्थाई आदेश संख्या 10/2020

राजस्थान गृह रक्षा विभाग के विभिन्न जिला प्रशिक्षण केंद्रों/उप केंद्रो एवम् सीमा गृह रक्षा दल की बटालियनों की कम्पनियों में स्वयंसेवको के रिक्त पदों पर नामांकन के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन–पत्र (online application form) आमंत्रित किये जायेंगे। यह आवेदन–पत्र Online राजकॉम इन्फों सर्विसेज लि. (RISL) द्वारा संचालित समस्त ई–मित्र कियोस्क पर वैबसाईट https://recruitment2.rajasthan.gov.in पर निर्धारित तिथि से भरे जा सकेंगे।

गृह रक्षा विभाग एक स्वयंसेवी संगठन है जिसमें गृह रक्षा स्वयंसेवक अपनी स्वेच्छा से अपना सहयोग प्रदान करने की स्वीकृति देते हैं, जिसके तहत इच्छुक स्वयंसेवकों का नामांकन किया जाता है। नामांकित स्वयंसेवकों को उनके किये गये सहयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानदेय दिया जायेगा। गृह रक्षा स्वयंसेवक की सदस्यता सरकारी सेवा नहीं है एवं ना ही भविष्य में इसका स्थाई किया जाना प्रस्तावित है। अतः इसे रोजगार के साधन के रूप में ना देखा जावे। नामांकित स्वयंसेवकों को राजस्थान गृह रक्षा नियमावली 1962 के नियम 8 के तहत 5 वर्ष के लिए ही रोल पर रखा जायेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रसारित होम गार्ड्स नियमावली–1962 के नियम–8 के अनुसार चयनित स्वयं सेवक को मात्र 05 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है एवम् 05 वर्ष की अवधि के बाद पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है।

1. रिक्तियों का निर्धारणः–

नामांकन प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व दिनांक 01.04.2020 को समस्त केंद्रों/उप केंद्रों एवं सीमा गृह रक्षा दलों की बटालियनों की कम्पनियों में जिलेवार पुरूष एवं महिला के रिक्त पदों की स्थिति का निर्धारण किया जावेगा। शारीरिक माप–तौल परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का स्थान मुख्यालय द्वारा विभिन्न ईकाईयों में रिक्तियों की संख्या ज्ञात करने के पश्चात् विज्ञप्ति में प्रकाशित किया जायेगा। आवश्यकता होने पर विभाग को विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन का अधिकार होगा।

2. आवेदन प्रक्रियाः–

(क) नामांकन हेतु आवेदन–पत्र (Online application form) लिये जायेंगे। इस हेतु आवेदक का SSO ID उपलब्ध होना आवश्यक होगा। अगर आवेदक का SSO ID नहीं हो तो वह sso.rajasthan.gov.in पर SSO ID बना सकेगा अथवा SSO ID ई–मित्र कियोस्क पर भी बनवाई जा सकेगी। यह SSO ID आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय ई–मित्र कियोस्क को उपलब्ध कराना/होना आवश्यक होगा।

यदि कोई आवेदक किसी अन्य आवेदक की एप्लीकेशन आईडी का प्रयोग कर अवैद्य तरीके से आवेदन करेगा तो डेटा बेस से मिलान करने के पश्चात् अवैद्य रूप से भरा गया आवेदन–पत्र रद्द

कर दिया जायेगा। अतः आवेदक को स्वयं की एप्लीकेशन आईडी का ही प्रयोग कर आवेदन करना अनिवार्य होगा ।

(ख) किसी भी आवेदक द्वारा online application form निम्नानुसार भरा जा सकेगा :–

i. अभ्यर्थी अपने स्तर पर अथवा अन्य एजेन्सी (साईबर कैफे आदि) के माध्यम से वेबसाईट https://recruitment2.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में अनुदेश व प्रपत्र भी उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे। इस स्थिति में परीक्षा शुल्क नेट–बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करवाना होगा।

ii. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के अधीन संचालित ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु संबंधित ई–मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जावेगी।

(ग) हाथ से भरे गये आवेदन–पत्र/हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन–पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(घ) i. आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई–मित्र कियोस्क की सूची वेबसाईट www.emitra.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगी।

ii. Online application form में समस्त वांछित सूचना अंकित करना आवश्यक होगा। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पृथक से कोई प्रार्थना–पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

iii. ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त अभ्यर्थियों को आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन–पत्र क्रमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ होगा तो इसका अर्थ यह होगा कि उसका आवेदन–पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit नहीं माना जाये।

3. <u>परीक्षा शुल्क</u>

(क) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु	–	रूपये 200/–
(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ईडब्ल्यूएस /एम.बी.सी आवेदक हेतु	–	रूपये 175/–

4. <u>शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश–पत्रः–</u>

विभाग द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रवेश–पत्र ऑनलाईन ही जारी किये जायेंगे और डाक द्वारा कोई भी प्रवेश–पत्र नहीं भेजे जायेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु ई–प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की सूचना समाचार पत्रों/वेबसाईट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र वेबसाईट पर SSO ID से Log in के पश्चात् https://recruitment2.rajasthan.gov.in से Download कर सकेंगे। प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई–मेल आई.डी.(E-mail ID) एवं मोबाईल नंबर पर भी भेजी जावेगी।

एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थी को नामांकन प्रक्रिया से वंचित कर दिया जायेगा।

5. आरक्षण :–

(अ) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों को आरक्षण निम्नानुसार देय होगा:–

1. अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
2. अनुसूचित जनजाति	12 प्रतिशत
3. अन्य पिछड़ा वर्ग	21 प्रतिशत

4. आर्थिक रूप से कर्मजोर वर्ग 10 प्रतिशत
5. एम.बी.सी. 05 प्रतिशत

(ब) टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जन जाति एवम् सहरियां आदिम जाति के लिए :– राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 13 (20) कार्मिक (क–2) 91 पार्ट दिनांक 04.07.2016 के प्रावधानानुसार जिन क्षेत्रों को ट्राईबल सब प्लान एरिया के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, के पदों में अनुसूचित जन जाति हेतु 45 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति हेतु 05 प्रतिशत पद तथा शेष 50 प्रतिशत अनारक्षित पद केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगें। इन क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग एवम् एम.बी.सी. वर्ग के लिए आरक्षण "शून्य" रहेगा।

बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद उप खण्ड में सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों की गणना कार्मिक विभाग के निर्देश कमांक प–13(20)क–2/91/पार्ट दिनांक 21.05.2013 के अनुसार की जावेगी।

(स) महिलाओं के लिएः– विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 30 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यथियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे अभ्यर्थी हैं, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

(द) भूतपूर्व सैनिकों के लिएः–

कुल रिक्त पदों के 12.5 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य/आर्थिक पिछडा वर्ग/ अनु.जाति/अनु.जन.जाति/ओ.बी.सी./एम.बी.सी./सहरियां) का होगा उसी वर्ग के पदों में समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत उसी अभ्यर्थी को पात्र माना जायेगा, जो राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम–1988 के नियम–3 (क) के अन्तर्गत परिभाषित है।

6. नामांकन हेतु पात्रता/योग्यता/छूटः–

(i) अभ्यर्थी सम्बन्धित जिले का मूल निवासी होना आवश्यक होगा।

तथा

(ii) आवेदक द्वारा जिस गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र/उप केंद्र/सीमा गृह रक्षा कम्पनी की रिक्तियों के विरूद्ध आवेदन किया गया है उस नगर निगम क्षेत्र/नगर परिषद क्षेत्र/नगर पालिका क्षेत्र/सीमा गृह रक्षा कम्पनी मुख्यालय की तहसील/नगरपालिका क्षेत्र के वर्तमान पते पर कम से कम 03 वर्ष से निवास करने का कोई एक दस्तावेज अनिवार्य है (उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड मतदाता परिचय पत्र/पासपोर्ट /ड्राईविंग लाईसेन्स)

(iii) **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता**

– मान्यता प्राप्त स्कूल से न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण।

(iv) **आयु सीमाः**– आवेदक की आयु 01.04.2020 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(v) **शारीरिक मापदण्डः–**

अभ्यर्थियों की ऊंचाई व सीने का न्यूनतम माप एवं वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य होगाः–

मापदण्ड	सामान्य क्षेत्र		बारां जिले के सहरिया हेतु	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152 से.मी.	160 से.मी.	145 से.मी.
सीना (केवल पुरूषों के लिए)	बिना फुलाए– 81 से.मी फुलाने पर – 86 से.मी. (सीने का कम से कम फुलाव 5 से.मी.)	लागू नहीं	बिना फुलाए – 74 से.मी फुलाने पर – 79 से.मी. (सीने का कम से कम फुलाव 5 से.मी.)	लागू नहीं
वजन (केवल महिलाओं के लिए)	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.	लागू नहीं	43 कि.ग्रा.

अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थी उपरोक्त मापदण्डों में उपलब्ध नहीं हो पा रहें हों तो न्यूनतम लम्बाई एवं सीने की न्यूनतम माप में 5 से.मी. की छूट दी जा सकेगी, किन्तु 5 से.मी. सीना फुलाये जाने की अनिवार्यता रहेगी।

(vi) **चिकित्सकीय मापदण्ड :–** चिकित्सकीय मापदण्ड निम्नानुसार होंगे।

1. अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दृष्टि 6X6 बिना चश्मे के होना अनिवार्य होगा।
2. अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषो, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
3. अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने (Knock-knee), नसें फूली हुई होना (Varicose veins), भैंगापन (Squint), रतौंधी (Night blindness), रंग दृष्टि दोष (Colour blindness), हकलाकर बोलना (Stammering), पैर समलत (Flat foot), हर्निया (Hernia), शल्य प्रॉबलम (Surgical problems), या अन्य कोई विकृति / अंग–भंग (Any other deformity) जो कर्त्तव्य पालन में बाधक हो, नहीं होनी चाहिए।

7. <u>नामांकन के लिए अयोग्यताए:–</u>

(i) किसी भी ऐसे पुरूष / महिला उम्मीदार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नि / पति हों नामांकन के लिए पात्र नहीं माना जावेगा।

(ii) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हो, सेवा में नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा। दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नामांकन के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 01.06.2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो। जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जाएगा। किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण:–राज्य सरकार के परिपत्र कमांक एफ–7(1)डीओपी / ए–2 / 95 / पार्ट–2 दिनांक 02.01.2017 में वर्णितानुसार कानूनी रूप से किये गये पुनर्विवाह उपरान्त जन्मी प्रथम सन्तान के कारण नामांकन के अयोग्य नहीं माना जायेगा।

(iii) शादीशुदा अभ्यर्थी के नामांकन के लिए विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र पेश करना अनिवार्य होगा। पंजीयन प्रमाण–पत्र पेश नहीं करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य माना जावेगा।

(iv) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नामांकन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजन हेतु 'दहेज' से वही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध एक्ट 1961 में है। (सैन्ट्रल एक्ट 1961 का 28)

(v) यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध निम्न में से किसी भी प्रकार के अपराध के तहत प्रकरण **अन्वेषणाधीन/न्यायालय में विचाराधीन** (under trial) है अथवा दोषसिद्धि उपरांत सजा हो चुकी है, तो उसे राज्य के अधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना जायेगा :–

(क) नैतिक अधमता यथा छल, कूटरचना, मत्तता, बलात्संग, किसी महिला की लज्जा भंग करने के अपराध में अन्तर्वलितता (involvement) हो।

(ख) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं. 26) में यथा परिभाषित अवैध व्यापार में अन्तर्वलितता हो।

(ग) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम सं. 104) में यथापरिभाषित अनैतिक दुर्व्यापार में अन्तर्वलितता हो।

(घ) नियोजित हिंसा या राज्य के विरूद्ध ऐसे किसी अपराध में अन्तर्वलितता हो, जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं. 45) के अध्याय 6 में वर्णित है।

(ड़) भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 एवं 17 में यथावर्णित अपराधों में अंतर्वलितता हो।

(च) भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148 (बलवा करना) के अपराध में अंतर्वलितता हो।

(छ) भारतीय दंड संहिता की धारा 498A (स्त्रियों के प्रति आपराधिक दुर्व्यवहार–दहेज) के अपराध में अंतर्वलितता हो।

(ज) अजा/अजजा अधिनियम 1989 के तहत अपराध में अंतर्वलितता हो।

(झ) लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो), 2012 के तहत अपराध में अन्तर्वलितता।

(vi) यदि कोई अभ्यर्थी तथ्यों को छुपाने अथवा बदलने/छेड़छाड़ करने, अनुचित माध्यम से परीक्षा में बैठने का, चयन प्रक्रिया के दौरान अथवा पश्चात् में दोषी पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से अलग कर दिया जावेगा। अभ्यर्थी का नामांकन होने के पश्चात् भी यदि दोष प्रमाणित होता है तो उसका नामांकन रद्द कर उसके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही अमल में ली जावेगी।

8. **नामांकन हेतु चयन बोर्डः–**

राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांकः प. 4 (10) गृह–7/2004 दिनांकः 23.01.2020 द्वारा राजस्थान होम गार्डस नियम–1962 के नियम–5 के अन्तर्गत सीमा/शहरी/ग्रामीण गृह रक्षा स्वयं सेवकों के नामांकन हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया गया है :–

1.	उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा विभाग	अध्यक्ष
2.	महानिदेशक, गृह रक्षा विभाग का प्रतिनिधि जो उप समादेष्टा, से नीचे के स्तर का न हो	सदस्य
3.	सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक का प्रतिनिधि जो पुलिस उप अधीक्षक से नीचे के स्तर का न हो	सदस्य
4.	सम्बन्धित इकाई का समादेष्टा/उप समादेष्टा गृह रक्षा	सदस्य सचिव

9. नामांकन हेतु चयन प्रकियाः–

(A) **पंजीकरण एवं प्रमाण–पत्र :–**

नामांकन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा स्थल पर निम्नांकित मूल प्रमाण–पत्र (जो भी लागू हो) एवं उनकी स्व–प्रमाणित (Self attested) एक प्रतिलिपि सहित निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होंगे–

(i) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण–पत्र ।

(ii) सम्बन्धित जिले का मूल निवास प्रमाण–पत्र।

(iii) सम्बन्धित नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका एवं सीमा गृह रक्षा कम्पनी मुख्यालय की तहसील/नगरपालिका क्षेत्र में गत 03 वर्षो से लगातार निवास करने का प्रमाण–पत्र।

(iv) आयु प्रमाण–पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)

(v) विशेष योग्यता सम्बन्धित प्रमाण–पत्र ।

(vi) सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र जो 6 माह से अधिक पुराना न हो।

(vii) जाति प्रमाण–पत्र :– अनु.जाति/अनु. जनजाति/ ओबीसी/एमबीसी/ई.डब्ल्यू.एस से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है।

(viii) सहरिया क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र , यदि लागू हो तो।

(ix) महिलाः– विधवा के मामले में अपने पति की मृत्यु का एवं विच्छिन्न विवाह के मामले में विवाह विच्छेद का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र ।

(x) भूतपूर्व सैनिक का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सेवानिवृति प्रमाण–पत्र ।

(xi) शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में सम्मिलित होने हेतु राजकीय चिकित्सक से शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण–पत्र।

(xii) आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन–पत्र भरवाया जायेगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5 X3.5 सेमी) रंगीन फोटो।

पंजीकरण के समय अभ्यर्थी के आवेदन में लगाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान एवं उपरोक्त वर्णित प्रमाण–पत्रों की जांच की जायेगी।

(B) **प्रथम चरणः– शारीरिक माप–तौल परीक्षण (Physical Standard Test/PST)**

नियमानुसार गठित नामांकन बोर्ड द्वारा अभ्यार्थियों का शारीरिक माप–तौल परीक्षण किया जावेगा। नामांकन बोर्ड (PST) में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके माप–तौल से अवगत करायेगा। शारीरिक माप–तौल में अयोग्य अभ्यर्थी निर्धारित फीस राशि रूपये 500/– जमा करवाकर शारीरिक माप–तौल परीक्षण बोर्ड के अध्यक्ष को एक बार अपील कर सकेंगे। चयन बोर्ड अध्यक्ष एवं राजकीय चिकित्सक की उपस्थिति में पुनः उक्त अभ्यर्थियों का परीक्षण किया जायेगा। तत्पश्चात् अयोग्य पाने जाने पर कोई अवसर देय नहीं होगा। चूंकि शारीरिक माप–तौल भविष्य में मापे जाने पर किसी अभ्यर्थी के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं अतः स्पष्ट किया जाता है कि अपील के दौरान चयन बोर्ड व राजकीय चिकित्सक की उपस्थिति में लिये गये माप–तौल ही भविष्य में भी गणना योग्य होंगे। इस तिथि के बाद में किसी अन्य बोर्ड द्वारा लिये गये माप–तौल मान्य नहीं होंगे। शारीरिक माप–तौल परीक्षण में योग्य पाये गये अभ्यर्थियों को ही परीक्षा के दूसरे चरण अर्थात् शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जायेगा।

(C) **द्वितीय चरणः–शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test/PET)**

शारीरिक माप–तौल में योग्य पाये गये अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित केंद्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। उसके उपरान्त ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

महिला अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती है तो उनको सलाह दी जाती है कि वह इसमें भाग नहीं लेवें। यदि भाग लेंगी तो उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु पृथक से शारीरिक दक्षता परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है तथा इसके लिए अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदण्ड/अंक निम्नानुसार होंगे :–

(क) दौड़ (पुरूष वर्ग) 1000 मीटर अधिकतम अंक 30

(i) 3 मिनट 40 सैकेण्ड तक –15 अंक
(ii) 3 मिनट 20 सैकेण्ड तक –23 अंक
(iii) 3 मिनट 10 सैकेण्ड तक –30 अंक

(ख) दौड़ (महिला वर्ग) 800 मीटर

(i) 4 मिनट 30 सैकेण्ड तक – 15 अंक
(ii) 3 मिनट 40 सैकेण्ड तक – 23 अंक
(iii) 3 मिनट 15 सैकेण्ड तक – 30 अंक

शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर देय नहीं होगा। उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित समय अवधि में दौड पूर्ण नहीं करने वाले अर्थात् न्यूनतम 15 अंक भी प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण मानते हुए नामांकन की अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अंन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किये जायेंगे।

(D) तृतीय चरणः विशेष योग्यता **अधिकतम अंक– 20**

क्र.सं	विवरण	अधिकतम अंक
(i)	नेशनल कैडेट कोर (NCC) का ''ए'' प्रमाण–पत्र 04 अंक ''बी'' प्रमाण–पत्र 06 अंक ''सी'' प्रमाण–पत्र 08 अंक	08 अंक
(ii)	कम्प्यूटर शिक्षा हेतु RKCL (Rajasthan knowledge Corporation Ltd.) द्वारा प्रदत RS-CIT(Rajasthan State Certificate Course in Info. Tech.) प्रमाण–पत्र अथवा राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT), भूतपूर्व DOEACC Society द्वारा प्रदत कम्प्यूटर शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण–पत्र अथवा NCVT(National Council for Vocational Training) से मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. संस्थानों द्वारा प्रदत कम्प्यूटर शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण–पत्र ।	03 अंक
(iii)	इलेक्ट्रीशियन/फिटर/पलम्बर/वैल्डिग/मोटरगाड़ी मैकेनिक/डीजल मैकेनिक, कारपेन्टर /पेन्टर/फायर टेक्नोलॉजी एण्ड इन्डस्ट्रीयल सेफ्टी/फायर मैन का NCVT(National Council for Vocational Training) से मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. संस्थानों द्वारा प्रदत	02 अंक

	डिप्लोमा प्रमाण–पत्र	
(iv)	खेलों में प्रतिभागी होने का मान्यता प्राप्त संस्था का उपयुक्त प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय स्तर 04 अंक राज्य स्तर 02 अंक	04 अंक
(v)	स्काउट प्रमाण–पत्र राष्ट्रपति पुरस्कार 05 अंक राज्य पुरस्कार 03 अंक तृतीय सोपान उत्तीर्ण 02 अंक	05 अंक
(vi)	हल्का / भारी मोटर वाहन चालक 1.4.2019 से पूर्व जारी ड्राईविंग लाईसेंस ही मान्य होगा। भारी मोटर वाहन चालक 03 अंक हल्का मोटर वाहन चालक 02 अंक	03 अंक

नोट :– विशेष योग्यता हेतु देय अंको के सन्दर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी के विशेष योग्यता हेतु अधिकतम अंको का कुल योग 20 अंकों से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार उपरोक्त श्रेणियों में अधिकतम अंक वाले प्रमाण–पत्र के अंक ही गणनीय होंगे।

(E) नामाकंन परीक्षा हेतु अंक गणनाः

परीक्षा के सभी चरणों के कुल 50 अंक होंगे जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी।

परीक्षा का चरण	**अधिकतम अंक**
शारीरिक दक्षता परीक्षा	30
विशेष योग्यता	20
अंकों का योग	**50**

50 अंको की उपरोक्त परीक्षा में अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्थात 15 अंक तथा कुल अंकों का कम से कम 40 प्रतिशत अर्थात् 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(F) चयन सूची–

नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में उपलब्ध अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित दौड़, एवं विशेष योग्यता में अंक दिये जायेंगे तथा मेरिट (योग्यता) सूची तैयार की जायेगी। इस प्रकार तैयार योग्यता सूची में रिक्तियों के अनुरूप एवं राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत प्रदत्त आरक्षण प्रावधानों के अनुसार वर्गवार चयन सूची तैयार की जायेगी। चयन बोर्ड द्वारा मैरिट सूची तैयार करते समय समान प्राप्तांको के मामले में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जावे। इसी प्रकार प्राप्तांक व आयु समान होने पर अधिक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावे तथा शैक्षणिक योग्यता भी समान होने पर विशेष योग्यता अंको के आधार पर वरीयता दी जावेगी। यदि तत्पश्चात् भी प्राप्तांक समान रहते हैं तो उनके नाम मेरिट में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखे जायेंगे।

(G) स्वास्थ्य परीक्षण–

मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही नामांकन हेतु पात्र माना जाएगा।

अपील : उक्त चिकित्सीय परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा द्वितीय मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा। पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है, परन्तु स्वास्थ्य परीक्षण की अयोग्यता की स्थिति में प्रथम बोर्ड द्वारा किये गये स्वास्थ्य परीक्षण की दिनांक से एक माह के भीतर दस्तावेजी सबूत के साथ अपील करने पर विभाग विचार कर सकता है।

(H) **प्रमाण–पत्र एवं चरित्र सत्यापन–**

चयन सूची पर लिये गए अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा, मूल निवास एवम् विशेष योग्यता इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों की जाँच कराई जाएगी तथा वेरीफिकेशन रोल भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। प्रत्येक दस्तावेज पर दिनांक अंकित होना आवश्यक होगा। सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नामांकन हेतु पात्र माना जावेगा।

04.03.2020

(राजीव दासोत IPS)
महानिदेशक,
गृह रक्षा राजस्थान
जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. महानिरीक्षक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महासमादेष्टा प्रथम/द्वितीय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. सीनियर स्टाफ ऑफिसर प्रथम/द्वितीय गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान।
7. समस्त समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र, राजस्थान।

(अमृत कलश IPS)
अति. महानिदेशक,
गृह रक्षा राजस्थान.
जयपुर